समाहरणालय,धनबाद।
(जिला भू–अर्जन शाखा)
–: आदेशः–

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा–8 के अंतर्गत उपायुक्त–सह– समुचित सरकार का **अंतराज्यीय बस अड्डा** हेतु अर्जनाधीन भूमि के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की समीक्षाः–

संक्षिप्त विवरणः–

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 के धारा–4 के आलोक में जिला भू–अर्जन कार्यालय के पत्रांक–921/भू0अ0, 922/भू0अ0,923/भू0अ0 दिनांक–02.11.2017 के द्वारा राज्य सरकार से अधिकृत संस्थान AMCS, Ranchi के माध्यम से सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य करवाया गया। संस्थान AMCS, Ranchi के द्वारा सर्वे के उपरांत समाजिक प्रभाव मूल्यांकन का प्रारूप प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिस पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के अध्यक्षता में दिनांक–27.03.2018 को अधिनियम के धारा–5 के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्रभावित परिवारों का लोक सुनवाई किया गया। तत्पश्चात् AMCS, Ranchi द्वारा अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया,जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना का सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव से ज्यादा लाभकारी है।

भू– अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 के धारा–7 के आलोक में ज्ञांपांक–418/भू0अ0,दिनांक–25.04.2018 के द्वारा समाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह(Expert Group) का गठन किया गया,जिसका मंतव्य प्राप्त है। विशेषज्ञ समूह ने अपने मंतव्य में भूमि अधिग्रहण के कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया है।

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा–10 के अंतर्गत खाध् सुरक्षाः–

लागू नहीं।

भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा–08 के आलोक में समुचित सरकार की समीक्षाः–

1. <u>लोक प्रयोजन</u>ः– भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 के धारा–2(1)(c) के अनुसार परियोजना लोक प्रयोजन की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

उक्त बस अड्डा के निर्माण से मुख्यतः धनबाद से लोगों को अवागमन में सुविधा हो जाएगी। इस परियोजना का लागत लाभ अनुपात घनात्मक है,कुल लाभान्वित व्यक्तियों के सकल आय में बढ़ोतरी करेगा।

2. परियोजना का सामाजिक कुप्रभावः– भूमि से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है अतः उ के अधिग्रहण से उन्हें सहज होने में समय लगेगा। अधिकांश रैयतों की भूमि पुस्तैनी भूमि है जिसके अधिग्रहण से उन्हें अपने पूर्वजों के उपहार खोने का भय है जिसे समाजिक समाघात प्रबंधन योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

3. **परियोजना से लाभः**– अंतराज्यीय बस अड्डा निर्माण हेतु अर्जनाधीन भूमि के अर्जन से वहाँ जनउपयोगी सुविधाओं जैसे कि विद्यालय, अस्पताल, बिजली, डाकघर इत्यादि हेतु आवगमन की सुविधा का विकास होगा जिसका लाभ आसपास के लोगों को भी मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा साथ ही साथ रैयतों को नए भू–अर्जन अधिनियम के लाभ भी उन्हें प्राप्त होंगे।

इस प्रकार संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों के तुलना में अधिक है तथा प्रस्तावित भूमि जिराकी की परियोजना के लिए आवश्यकता है, पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की है और इससे विस्थापन की कोई समस्या नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में एवं भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–8(2) के अधीन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अंतराज्यीय बस अड्डा निर्माण हेतु भूमि अर्जन के अग्रेत्तर कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 118 /भू0अ0,दिनांक 15/02/19

प्रतिलिपिः–

1. अपर समाहर्त्ता(विधि–व्यवस्था)–सह– वेब मैनेजर, धनबाद NIC को सूचनार्थ एवं जिला Website पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. अपर समाहर्त्ता, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी,धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, धनबाद।

समाहरणालय (विधि-व्यवस्था कोषांग) धनबाद।
ज्ञापांक:-170 वि०व्य०-धनबाद,दिनांक-16/02/19
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

वेब मैनेजर
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी
(वि0 व्य0) धनबाद।
16/02/19